13 6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उप।
तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव
पर उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस
सुनी गई। उभय पक्ष अधिवक्तो ने
विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की
कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। अतः वाद
वादी का स्वीकार किया जाता है। डिक्री
पर्चा जारी हो। विभाजन प्रस्ताव निर्णय
का भाग रहेगा। निर्णय पृथक से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुपालना
हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।
पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर
से कम हो।

Rajendra

Ready to report

सेवामें, प्रस्तुतकर्ता - Adv. Sh. N.S. Bhati

श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं,

उपखण्ड अधिकारी लोहावट ।

वाद संख्या :—

तारीख प्रस्तुती :— .

वादी :—

1 अनोपसिंह पुत्र श्री हीरसिंह
जाति राजपूत निवासी नाहरसिंह नगर
तहसील बापीणी जिला जोधपुर ।

—: ब ना म :—

प्रतिवादीगण :—

1 अचलसिंह पुत्र श्री चेनसिंह
2 अणदसिंह पुत्र श्री शक्तिदानसिंह
3. अशोकसिंह पुत्र श्री भीमसिंह
4 आसुकवंर पत्नि श्री सोनसिंह
5 गुमानसिंह पुत्र श्री चेनसिह
6 छत्रसिंह पुत्र श्री शक्तिदानसिंह
7 दलपतसिंह पुत्र श्री मेहराजसिंह
8 देवीसिंह पुत्र श्री सांगसिंह
9 देवीसिंह पुत्र श्री शक्तिदानसिंह
10 नरपतसिंह पुत्र श्री चेनसिंह
11 बागसिंह पुत्र श्री शक्तिदानसिंह
12 भोमसिंह पुत्र श्री सांगसिंह
13 मगसिंह पुत्र श्री पाबूदानसिंह
14 खेतसिंह पुत्र श्री शक्तिदानसिंह
15 राजेन्द कुमार सिंह पुत्र श्री भीमसिंह
16 रामसिंह पुत्र श्री चेनसिंह
17 सन्तुकवंर पत्नि श्री सुमेरसिंह

18 सरूपसिंह पुत्र श्री सांगसिंह

19 सुवा कवंर पत्नि श्री सांगसिंह

सोनसिंह पुत्र श्री पाबूदानसिंह फौत के कायम मुकाम

20. आसु कंवर पत्नि सोनसिंह

21 सुमेर सिह पुत्र सोनसिंह

22. राजुसिह पुत्र सोनसिंह

23 धन सिह पुत्र सोनसिंह

24 अणदसिह पुत्र सोनसिंह

25. मोमत सिह पुत्र सोनसिंह

26. हणुतसिंह पुत्र श्री पाबूदानसिंह

27. हणुतसिंह पुत्र श्री जवांरसिंह

28. हनवन्तसिंह पुत्र री भीमसिंह

29. हंसाकवंर पत्नि श्री शक्तिदानसिंह

जाति राजपूत निवासी नाहरसिंह नगर

तहसील बापिणी जिला जोधपुर ।

30. श्री तहसीलदार बापिणी ।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट.

महोदय जी,

वादी की ओर से निम्न निवेदन है कि –

1 यह है कि तहसील बापीणी के राजस्व ग्राम नाहरसिंह नगर की सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 700 (सात सौ) रकबा 14.4715 (चौउदाह दशमलव चार सात एक पांच) हैक्टेयर, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 (एक) से 24 (चोबीस) के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि आई हुई है । चालु जमाबन्दी की नकल साथ मे पेश है ।

2 यह है कि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त के राजस्व रेकर्ड मे वादी का 1/42 (एक बट्टा बयालीस),1/42 (एक बट्टा बयालीस) ,1/42 (एक बट्टा बयालीस) ,1/28 (एक बट्टा अठ्ठाईस), 2/21 (दो बट्टा इक्कीस) हिस्सा यानि सम्पूर्ण भूमि मे वादी का 17/84 (सत्रह बट्टा चोरासी) हिस्सा है । वादग्रस्त भूमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से व बन्ट के अनुसार मौके पर

3 आपसी सहमती से अन्दाजीया तौर से विभाजन कर काश्त करते आ रहे है । उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे संयुक्त खातेदारी की है जिसका राजस्व रेकर्ड मे वादी अपने हक हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार व बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन करवाना चाहता है इसलिए यह वाद बाबत विभाजन कर पेश है ।

4 यह है कि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि वादी एंव प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमे वादी एंव प्रतिवादी अपने अपने बन्ट व हक हिस्से अनुसार काश्त करते आ रहे है । वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से वादी को अपने हक हिस्से की भूमि का विकास कार्य करवा चाहता है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन प्रतिवादीगण हमेशा यही कहते रहे कि जब भी मौका मिलेगा तब वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड मे विभाजन करवा देगे । अभी हाल ही मे दिंनाक 10.06.2022 (दस जुन सन् दो हजार बाईस) को वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड मे विभाजन के लिए कहा तब प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया एवं वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी जब कि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है । इसलिए वादी वादग्रस्त भूमि का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार व बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन करवाने एंव प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निशेधाज्ञा हेतु यह वाद पेश किया है ।

5 यह है कि वादग्रस्त भूमि वादी की सयुंक्त खातेदारी की भूमि आई हुई होने व वादी का अपने हक हिस्से के अनुसार मौके पर काबिज होने तथा उक्त भूमि मे वादी खातेदार होने से प्रथम दृश्टया सुदृढ मामला वादी के पक्ष मे बनता है।

6 यह है कि वादग्रस्त भूमि मे यदि प्रतिवादी संख्या 1 (एक) से 24 (चोबीस) वादी को बेदखल कर अपने हक हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है यदि प्रतिवादीगण ने वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर वादी के हक हिस्से की भूमि पर कब्जा कर लिया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा दावा मुकदमो की बहुलता बढ जायेगी जिसकी पूर्ति रूपयो पैसो मे नही की जा सकेगी । सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष मे बनता है ।

7 यह है कि बिनाय दावा दिंनाक 10.06.202 (दस जुन सन् दो हजार बाईस) को प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाए से इन्कार करने एवं वादी

को बेदखल करने की धमकी देने पर बमुकाम नाहरसिंह नगर मे उत्पन्न हुआ जो बिनाय दावा आज भी निरन्तर विद्यमान है तथा दावा अन्दर मयाद पेश है ।

7 यह है कि प्रतिवादी संख्या 25 (पचीस) भूमिधारी होने से आवश्यक प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया है इनके खिलाफ कोई रिलीफ नही चाही गई है केवल डिक्री की पालना करनी है।

8 यह है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम नाहरसिंह नगर मे स्थित होने तथा दावा विभाजन व स्थाई निशेधाज्ञा का होने से अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है ।

9 यह है कि नियमानुसान न्यायालय शुल्क के स्टाम्प रूपये 2/–(दो) के अलावा तलबाना के पेश है ।

10 यह है कि इस्तदुआ वादी निम्न प्रकार है :–

1 कि ग्राम नाहरसिंह नगर की सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 700 (सात सौ) रकबा 14.4715 (चौउदाह दशमलव चार सात एक पांच) हैक्टेयर भूमि मे वादी का 17/84 (सत्रह बट्टा चोरासी) हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार व बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड से विभाजन किये जाने की डिक्री बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे ।

2 कि स्थाई निशेधाज्ञा बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि मे वादी के हक हिस्से की विभाजित भूमि मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे और न ही किसी अन्य से करावे ।

3 कि खर्चा दावा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे ।

4 कि अन्य दादरसी जो मुफीद वादी हो अता फरमाई जावे।

तस्दीक :–

मै अनोपसिंह पुत्र श्री हीरसिंह जाति राजपूत निवासी नाहरसिंह नगर तहसील बापीणी जिला जोधपुर वाला शपथ पूर्वक तस्दीक करता हू कि उपरोक्त वर्णित वाद पत्र मे तमाम तथ्य मेरी निजी जानकारी व ज्ञान से सही है इसमे कुछ भी गलत अंकित नही किया गया है । सत्य बोलने मे ई वर मेरी मदद करे ।